तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 24 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सड़क, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.11..2019 में उसके द्वारा (1) 2 करोड़ की वक्त की तकिया चांदशाह की आय मुस्लिम लडकियों की शिक्षा मे काम में लेने के माननीय मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ / कलेक्टर कार्यालय से जारी निर्देशों में की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति मय प्रत्युत्तर की प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1221 दिनांक 27.01. 2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक 2005 दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है तथा दी गई सूचना की प्रति भी संलग्न की है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना की प्रति को आदेश की प्रति के साथ इस कार्यालय से अपीलार्थी को प्रेषित कर दी जाय। सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	